

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद  
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र धारा 89 : 01 / 2019

दायर दिनांक : 13.05.2019

निर्णय दिनांक : 24.05.2021

—:अनवान:—

मैसर्स मारुती मिनरल्स एण्ड केमिकल्स पंजीकृत भागीदारी फर्म जरिये  
भागीदार—

1. श्री राहूल पिता भागचन्द जी जाति बोहरीवाल आयु वयस्क पेशा व्यापार  
निवासी आलोक स्कूल के पास कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्रीमती पुष्पा पत्नि भागचन्द जी जाति बोहरीवाल आयु वयस्क पेशा  
व्यापार निवासी आलोक स्कूल के पास कांकरोली तहसील व जिला  
राजसमन्द

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बाबुलाल पिता स्वर्गीय श्री भैरा जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी  
वासनी, तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्रीमती चतरूबाई पत्नि स्वर्गीय श्री भैरा जी जाति गुर्जर आयु वयस्क  
निवासी वासनी, तहसील व जिला राजसमन्द
3. श्री नन्दा पिता किशना जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी वासनी,  
तहसील व जिला राजसमन्द
4. श्री शंकर पिता किशना जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी वासनी,  
तहसील व जिला राजसमन्द
5. श्री मथुरालाल पिता नन्दा जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी वासनी,  
तहसील व जिला राजसमन्द
6. श्री गोटूलाल पिता शंकर जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी वासनी,  
तहसील व जिला राजसमन्द
7. श्री सोहनलाल पिता शंकर जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी वासनी,  
तहसील व जिला राजसमन्द
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, राजसमन्द जिला राजसमन्द
9. खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान जरिये खनिज अभियंता II  
राजसमन्द

— अप्रार्थीगण



AM

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट सपठित धारा 24 ए माईन्स एण्ड मिनरल्स (डवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट तथा नियम 22 (एच) मिनरल कंसेशन रूल्स 1960

उपस्थित:-

- 1- श्री शेषमल गाडरी अधिवक्ता प्रार्थी
- 2- श्री कुलदीप पालीवाल अप्रार्थी संख्या 02
- 3- श्री मुकेश तलेसरा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, 03 से 07
- 4- श्री ईश्वरसिंह सामोता अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 08 व 09

प्रार्थी द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी के इस न्यायालय में दिनांक 06.05.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम ग्राम वासनी तहसील व जिला राजसमंद में क्वार्टरज फैल्सफार प्रधान खनिज का एक खनन पट्टा 04 चार हेक्टर का स्वीकृत है। जिसके एमएल नम्बर 38 सन 2008 है। जो निम्न आराजी संख्या 807 रकबा एक बीघा 8 बिस्वा, 808 रकबा 05 बिघा 10 बिस्वा, 809 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, 810/1 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, 810/2 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा में स्थित है। उक्त आराजियात में से आराजी संख्या 807 व 808 विपक्षी संख्या 3 नंदा एवं विपक्षी संख्या 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है। इसी प्रकार आराजी संख्या 809 में विपक्षी संख्या 1 बाबूलाल व विपक्षी संख्या 2 चतरू बाई के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 3 नंदा एवं विपक्षी संख्या 4 के नाम 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। आराजी संख्या 810/1 विपक्षी संख्या 3 नंदा एवं विपक्षी संख्या 4 शंकर के नाम एवं आराजी संख्या 810/2 विपक्षी संख्या 1 बाबूलाल एवं विपक्षी संख्या चतरू बाई के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है। उपरोक्त वर्णित आराजियात में से प्रार्थी के खनन क्षेत्र में 4 हेक्टेयर की लीज स्वीकृत है। तथा जब से लीज स्वीकृत हुई है तब से खनन कार्य चल रहा है तथा माल उत्पादित कर निगमित्त किया जा रहा है जिसमे विपक्षीगण ने कभी कोई आपत्ति नहीं की है। उपरोक्त विपक्षी संख्या 3 एवं विपक्षी संख्या 4 शंकर गुर्जर की ओर से उनके खातेदारी की भूमि की देखभाल सुरक्षा प्रबंध एवं व्यवस्था उनके पुत्र मथुरालाल विपक्षी संख्या 5 एवं गोदूलाल विपक्षी संख्या 6 एवं सोहनलाल विपक्षी संख्या 7 के द्वारा की जाती रही है और उन्होंने अपने प्रलेख दिनांक 18.03.2008 के द्वारा अपने सतही अधिकार का मुआवजा रूपए 12,25,001/- अक्षरे बारह लाख पच्चीस हजार एक रुपया निश्चित किया और इस प्रलेख के अनुशीलन से कुल रूपए 9,50,850/- अक्षरे नौ लाख पचास हजार आठ सौ पचास रूपए प्राप्त कर लिए। उक्त खनन क्षेत्र पर प्रार्थी द्वारा खनन कार्य करते हुए और काफी लागत लगाकर आधुनिक रूप से दोहन करने तथा प्रार्थी द्वारा उक्त खनन क्षेत्र पर मशीनरी स्थापित कर काफी श्रम व पूंजी को सुनियोजित करने के बाद अच्छे किस्म का क्वार्टरज फैल्सफार निकल जाने के कारण विपक्षी संख्या 1 से 7 के मन में परिवर्तन आ गया और उक्त विपक्षी संख्या 1 से 7 येनकेन प्रकारेण प्रार्थी के खनन क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करने में आमादा है और विपक्षीगण काफी प्रभावशाली व्यक्ति है जिसका दुरुपयोग कर विपक्षीगण 1 से 7 अपने सतही अधिकार का मुआवजा उपरोक्त रूप से प्राप्त करने के बाद भी प्रार्थी के खनन कार्य में बाधा उत्पन्न करने और एक बार मुआवजा प्राप्त करने के बाद पुनः मुआवजा की मांग कर प्रार्थी को जलील व परेशान कर रहे है। विपक्षी संख्या 5,6 व 7 उक्त कृषि भूमियों के खातेदारों से



11

एन0ओ0सी0 दिलाने को बाध्य थे किंतु अब प्रार्थी के खनन कार्य में व्यवधान व बाधा उत्पन्न कर प्रार्थी को परेशान करना चाहते हैं। प्रार्थी उक्त आराजियात में खनन क्षेत्र में आने वाली भूमि का सतही अधिकार का मुआवजा अदा कर चुका है। जिसे समयोजन के बाद यदि माननीय न्यायालय द्वारा सतही अधिकार की कोई अन्य राशि देय निकलती है तो प्रार्थी अदा करने को तैयार है। प्रार्थी के खनन क्षेत्र में आने वाली उपरोक्त वर्णित आराजियात के चार हेक्टर क्षेत्र का तात्कालिक समय की डी0एल0सी0 रेट से जब तक की सतही अधिकार का मुआवजा माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं फरमाया जावे तब तक उक्त डी0एल0सी0 रेट से मुआवजा देने के लिए प्रार्थी उद्धत व तत्पर है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा 4 हेक्टर भूमि के सतही अधिकार का मुआवजा निर्धारित फरमाया जाकर उक्त रुपए 9,74,000/- अक्षरे नौ लाख चौहत्तर हजार रुपए समायोजित फरमाया जाकर यदि और देय निकलते हैं तो उसे प्रार्थी अदा करने को प्रार्थी उद्धत एवं तत्पर है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोजेन्टगण की ओर अधिवक्तागण उपस्थित। जिन्होंने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को छिपाया गया है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमंद में वाद बाबत विभाजन एवं निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर रखा है। जिसके मुकदमा नम्बर 2014/ 2016 है, जो कि विचाराधीन होने से पश्चातवर्ती कार्यवाही को स्थगित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत आक्षेपों पर बहस करते हुए निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 89 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अधीन प्रस्तुत किया गया है। जो मात्र मुआवजा निश्चित करने से संबंधित है। और उसके अधीन अंतरिम मुआवजा डी0एल0सी0 रेट से दिलवाया जावे। धारा 89 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अधीन की जाने वाली कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है। जिसमें दिवानी प्रक्रिया के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। प्रार्थी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि धारा 89 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट से न्यायालय को यह देखना है कि जिस क्षेत्र में खनन पट्टा जारी किया गया है। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं जो एक ही परिवार के हैं। और प्लॉट के हिसाब से वर्गफीट से विक्रय की हुई है। कोई भी सेलडीड जो पेश हुई है। वो 05 बिश्वा से अधिक की नहीं है। चूंकि खनन क्षेत्र का सतही अधिकार का मुआवजा डी0एल0सी0 दर प्रतिबिघा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। साथ ही वादग्रस्त भूमि का रकबा लगभग 25.00 बीघा है। बाजार मूल्य निर्धारण के लिए 50 प्रतिशत सेलडीड देनी पडती है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सतही अधिकार का मुआवजा तय करने का आदेश पारित करावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा बहस कथन में बताया है कि ग्राम वासनी तहसील कुंवारिया के आ0नं0 807, 808, 809, 810/1, 810/2 अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि है। जिसका मुआवजा डी0एल0सी0 दर से न देकर बाजार मूल्य के आधार पर दिया जावे। वर्तमान बाजार दर इस आराजी के सटमा आराजी संख्या 811/2 रकबा 03 बिश्वा 09 बिश्वांसी की सेल डीड 2015 में 20 लाख प्रतिबीघा की दर हुआ है।



4

खनन क्षेत्र के लिय पंजीयन कृषि भूमि के चार गुणा माना जाता है। इस हिसाब से 80 लाख रूपया प्रतिबीघा की दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए। जबकि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 27 के तहत माननीय न्यायालय द्वारा मुआवजे का निर्धारण किया जावे तथा मुआवजा इस अधिनियम की धारा 28,29,30 व 31 से देना तय होता है। जिसके तहत अधिग्रहित भूमि का निर्धारित मुआवजा डी0एल0सी0 दर का 04 गुणा किया जाने का आदेश फरमावे।

**Issue No. 01 बाजार दर की गणना किस प्रकार की जावे :-**

अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण उसकी भूमि की सटमा आराजी सं. 810 में से बेची गई 01 बीघा भूमि के विक्रय विलेख के आधार पर की जावे। अप्रार्थी के द्वारा कथन के समर्थन में विक्रय विलेख की प्रति भी प्रस्तुत की हैं। अप्रार्थी अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख में सटमा आराजी सं. 810 में से 01 बीघा भूमि का पंजीयन 10 लाख रूपये प्रतिबीघा की दर से हुआ है। इसलिए अप्रार्थी अनुसार मुआवजा निर्धारण करने के लिये 10 लाख रूपये प्रति बीघा की बाजार मूल्य लिया जावे। इसके विपरित प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि जो भी विक्रय विलेख प्रस्तुत किये गये हैं, वो एक ही परिवार के है और उनकी रजिस्ट्री वर्गफीट में की गई हैं, न कि बीघा - बिस्वा में। अतः ऐसी परिस्थिति में वर्गफीट में की गई रजिस्ट्री के आधार पर बाजार दर का निर्धारण नहीं किया जा सकता हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचार किया गया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार की मूल्यांकन रिपोर्ट में जाहिर की गई लिखित आपतियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। उक्त प्रकरण भूमि अधिग्रहण का न होकर, भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89 में सतही अधिकार (Surface Rights) का मुआवजा देने से संबंधित हैं। परन्तु मुआवजा की गणना करने के लिए दोनो पक्षों द्वारा RFCTLARR Act., 2013 के अनुसार कारवाई करने की सहमति प्रकट की हैं। विधिक प्रावधानों के अनुसार RFCTLARR Act., 2013 की धारा 26(1) के तहत भूमि की बाजार दर निर्धारित करते हुये साधारणतया DLC दर को ही बाजार दर लिया जाता हैं। धारा 26 के अनुसार कलक्टर भूमि की बाजार दर निर्धारण करने में निम्नलिखित मानदंड अपनाएगा, अर्थात :-

- (क) उस क्षेत्र में, जहाँ भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1989 (1899 का 2) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो, या
  - (ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पडोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत, या
  - (ग) प्राइवेट कंपनियों के लिए या पब्लिक- प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम,
- जो भी अधिक हो।

स्पष्टीकरण 2 के अनुसार विक्रय विलेख के आधार पर बाजार दर निर्धारित करने के लिए कम से कम उस क्षेत्र की 50 प्रतिशत विक्रय विलेख पर विचार किया



AH

जाना चाहिए। और अप्रार्थी द्वारा जो विक्रय विलेख प्रस्तुत किये है जिसमें से एक विक्रय विलेख के अनुसार अप्रार्थी ने भूमि की बाजार दर 10 लाख रूपये प्रति बीघा निर्धारित करने की मांग की हैं। इस न्यायालय का यह मत है कि मात्र 3-4 विक्रय विलेख के आधार पर उस क्षेत्र की बाजार दर निर्धारित नहीं की जा सकती हैं, और स्पष्टीकरण 2 के अनुसार कम से कम उस क्षेत्र की आधी (50 प्रतिशत) विक्रय विलेख पर विचार किया जाना आवश्यक हैं। नियमानुसार इस प्रकरण में धारा 26 (क) के अनुसार बाजार दर निर्धारित की जानी चाहिए, जो भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में भूमि की DLC दर के बराबर ली जाती हैं और इस DLC को उसके पश्चात मुआवजा गणना के लिये 1 से 2 के बीच में (अधिकतम 2) किसी गुणांक से गुणा किया जाता हैं। परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट व अप्रार्थी अधिवक्ता के लिखित आपतियों द्वारा वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 24 फरवरी 2021 इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया हैं। परिपत्र के बिन्दु संख्या 6(II) इस प्रकार है : नया खनन पट्टा (चाहे नीलाम के माध्यम से या अन्यथा मंजूर किया गया हो), खनन पट्टे के नवीकरण या खनन पट्टे के अंतरण के मामले में दरें, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी और जहाँ उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरें अवधारित नहीं की गयी हैं, लगे हुए क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी।

अतः उक्त परिपत्र के अनुसार उक्त भूमि की DLC दर को चार के गुणांक से गुणा किया जाकर भूमि की बाजार दर निर्धारित की जाती हैं।

**Issue No. 02 तोषण राशि की गणना :-**

RFCTLARR Act., 2013 की धारा 30 में अंतिम मुआवजा राशि के निर्धारण में तोषण राशि दिये जाने का प्रावधान हैं। अतः धारा 30 के अनुसार मुआवजे के समतुल्य तोषण राशि दिये जाने का निर्णय किया जाता हैं।

प्रकरण में अन्तिम मुआवजा निर्धारण के लिये सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा, कलैक्ट्रेट, राजसमन्द को RFCTLARR Act., 2013 के अनुसार गणना करने हेतु पत्र लिखा गया। सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्टनुसार RFCTLARR Act., 2013 के तहत अवाप्त भूमि अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी डी.एल.सी. दर से मुआवजा राशि की गणना करने के नियम है। प्रस्तावित प्रकरण में संलग्न खनन लीज का पंजीयन दिनांक 22.10.2008 को किया गया है। अतः पंजीयन तिथि 22.10.2008 को प्रभावी डी.एल.सी.दर से गणना किया जाना उचित बताया है। साथ ही RFCTLARR Act., 2013 के अनुसार प्रस्तावित भूमि की किमत का अधिकतम दुगनी राशि ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य माना गया है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा, कलैक्ट्रेट, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्टनुसार खनन लीज (एम0एल0 38/2008 ) का पंजीयन उपपंजीयक राजसमन्द के द्वारा दिनांक 22.10.2008 को किया जाना अंकित हैं। राज्य सरकार की ओर से पंजीयन दिनांक 22.10.2008 को उक्त भूमि खनन के लिए प्रभावी हुई हैं। अतः उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के मुआवजे की गणना वर्ष 2008 को प्रभावी DLC दर के अनुसार किया जाना चाहिए।



AM

प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा, कलैक्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्ष 2008 को प्रभावी DLC दर के अनुसार सम्पूर्ण खसरे (कुल रकबा 5.6009 हेक्टेयर) का मुआवजा की गणना की है जो इस प्रकार है :-

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपयों में)
1.	संपूर्ण कृषि भूमि का मूल्य (DLC दर) अथवा बाजार दर	8,79,000
2.	DLC दर × 4 (खनन क्षेत्र होने से)	35,16,000
3.	कुल सम्पत्तियों (Total Assests)	3,81,040
4.	योग (2+3)	38,97,040
5.	तोषण राशि	38,97,040
6.	कुल देय मुआवजा राशि (4+5)	77,94,080

बहुपक्षीय विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार कुंवारिया एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा, कलैक्ट्रेट, राजसमन्द तथा सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की रिपोर्ट तथा समय-समय पर जारी परिपत्रों, अन्य विधिक दिशा निर्देशों एवं रक्षित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। ऐसा कोई परिपत्र/दिशा निर्देश और न्यायिक दृष्टान्त इस न्यायालय के ध्यान में नहीं आया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि इस प्रकार के प्रकरण में जहाँ खनन लीज 2008 में जारी की गई हो, उसमें मुआवजा निर्धारण के लिये वर्तमान DLC दर को लिया जावे या 2008 की DLC दर को। अतः इस विधिक बिन्दु के संदर्भ में या तो कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है या इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं है। परन्तु दोनो अधिवक्ताओं ने अंतिम बहस के दौरान तहसीलदार कुंवारिया द्वारा प्राप्त वर्तमान प्रचलित DLC दर के आधार पर मुआवजा गणना करने के लिये सहमति प्रकट की और वादी अधिवक्ता द्वारा DLC दर के मुद्दे पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः आपसी सहमति के आधार पर व मूल काश्तकार को उसकी भुमि का तर्कसंगत उचित मुआवजा व वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रचलित DLC दर के अनुसार मुआवजा देने का निर्णय किया जाता है।

खनि अभियंता राजसमन्द की रिपोर्टानुसार राजस्व ग्राम वासनी तहसील कुंवारिया में खनिज क्वार्टज फ़ैल्सफ़ार की स्वीकृत एम.एल. नं. 38/2008 में पडने वाले खसरा संख्या एवं रकबे का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	खसरा नम्बर	भूमि की किस्म	खसरे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	लीज क्षेत्र में आने वाला कुल रकबा (हेक्टेयर में)
1.	807	खादी-II	0.2266	0.0899
2.	808	बीड-II	0.8903	0.7819
3.	809	बीड-II	1.2141	0.8335
4.	810/1	बीड-II	1.8616	1.3159
5.	810/2	बीड-II	1.4083	0.9788
कुल रकबा			5.6009	4.000



M

उपरोक्त विवेचना के आधार पर सम्पूर्ण रकबे में से लीज क्षेत्र ( 4.000 हेक्टेयर) का वर्तमान प्रचलित DLC दर निम्नानुसार मुआवजा निर्धारित किया जाता है :-

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपयों में)
1.	संपूर्ण कृषि भूमि का मूल्य (DLC दर) अथवा बाजार दर	15,62,178
2.	DLC दर × 4 (खनन क्षेत्र होने से)	62,48,712
3.	कुल सम्पत्तियों ( Total Assests)	3,81,040
4.	योग (2+3)	66,29,752
5.	तोषण राशि	66,29,752
6.	कुल देय मुआवजा राशि (4+5)	1,32,59,504

**::आदेश::**

अतः भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 का वादग्रस्त भूमि का सतही अधिकार प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र इस आदेश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रार्थीगण उपरोक्त राशि 1,32,59,504/- (अक्षरे एक करोड बतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ चार रूपये) अप्रार्थीगण को भूगतान करेगा एवं भूगतान पश्चात सम्बन्धित तहसीलदार उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को संपूर्ण करेगा। यदि अप्रार्थीगण उक्त मुआवजा लेने से इनकार करता है तो प्रार्थीगण उक्त मुआवजा राशि को तहसील कार्यालय में जमा करवायेगा और उसके उपरान्त वादग्रस्त भूमि का कब्जा तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को संपूर्ण किया जायेगा। तहसीलदार राजस्व अभिलेखों में इस संबंध में अंकन करना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 24.05.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

